

सराडा

29-11-19 : पत्रव्यवस्था पेश हुई. वकील सुखी
मन सुखी अनुपासीत. सुखीगण का वाह
द्वारा-द्वारा अदम-पैरवी खासिद देने
ले सुखी के अर्थात् पत्र का कोई औचित्य
नहीं रहा. अतः सुखी का अर्थात् पत्र
मूल वाह के अभाव में इसी स्तर पर खासिद
किया जाता है. अत्रवकील पेशवा सुमार
दोहर नम्बर में अत्र दोहर साक्षिक इत्यादि
वा

उपखण्ड अधिकारी
सराडा, जिला-उदयपुर (राज.)